जल संबंधी संवैधानिक प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय जल विवाद एवं जल सन्धियाँ

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की

प्रस्तावना

जल मानव जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं उदाहरणतः, घरेलू उपयोग, सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन, इत्यादि की आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के बिना मानव जीवन की परिकल्पना किया जाना नितांत असंभव है। भारत जैसे पारंपरिक समाज में जल पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार न मानते हुये इसे समाज की सार्वजनिक संपदा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही मूल रूप में यह स्वीकार किया गया है, कि कोई भी व्यक्ति जो प्यासा हो, उसे जल के उपभोग के लिए मना नहीं किया जा सकता, चाहे उसकी आय, क्रय शक्ति एवं सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति कैसी भी क्यों न हो। वर्तमान परिपेक्ष्य में भी यदि देखा जाए तो हमारी संस्कृति में किसी भी आगंतुक अतिथि को उसके आगमन पर सर्वप्रथम जल ही प्रदान किया जाता है। जनसंख्या, औद्योगिकीकरण एवं जल प्रदूषण आदि क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि, उत्पादन एवं संरक्षण, उपभोग्यता एवं आवश्यकता के साथ–साथ मांग आधारित परिवर्तनीय मूल्यों के परिणामस्वरूप, जल एवं उससे संबन्धित सेवाएँ, धीरे–धीरे मूल्यवान उपभोग्यता संपदा के रूप में परिवर्तित होती जा रही हैं।

जल क्षेत्र में जनमानस के अधिकार

भारतीय संविधान के अनुसार ''जलाधिकार'' शब्द के अंतर्गत, जनमानस को जल के उपयोग हेतु प्रदान किए गए विशेषाधिकार समाहित हैं। भारतीय संविधान में जल को पारंपरिक रूप से सामाजिक उपभोग की वस्तु एवं मानव जीवन की मूल आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया है तथा कुछ सीमाओं के अंतर्गत इसे राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संस्कृति में जल को यह विशेषाधिकार प्राप्त होने का मुख्य कारण लोक सेवा या आवश्यक सेवा है जिसके आधार पर हमारे देश में जल क्षेत्र में उपलब्ध रिपेरियन पद्धति के अनुसार किसी भी व्यक्ति विशेष को जिसकी स्वयं की भूमि किसी नदी या सरिता के तट पर स्थित हो, अपनी आवश्यकतानुसार नदी या सरिता से यथोचित मात्रा में जल प्राप्त करने का पूर्णाधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के साथ–साथ उस व्यक्ति विशेष का यह कर्तव्य भी सुनिश्चित किया गया है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध भूमि मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाले नदी जल को उसकी गुणवत्ता एवं मात्रा में बिना किसी हानि के, प्रवाहित होने देने में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।

भारतीय संविधान में जल को प्राकृतिक रूप से सामाजिक उपभोग की वस्तु एवं मानव जीवन की मूल आवश्यकता के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार देश में जल का उपयोग राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जल संबंधी अधिकारों पर विचार करने की आवश्यकता उस अवस्था में अधिक होती है जब उपलब्ध जल संसाधनों की कमी हो, तथा उपयोगकर्ताओं के रूढ व्यवहार के कारण उसके जल संबंधी अधिकारों एवं पात्रता को परिभाषित करना आवश्यक हो। जल क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय संविधान में किये गए विभिन्न प्रावधानों का वर्णन प्रस्तुत प्रपत्र में किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान निर्माताओं ने जनमानस को जल के उपयोग हेतु संविधान में कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए हैं। जिन्हें संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत प्रपत्र में दर्शाया गया है।

भारतीय ईसमेंट अधिनियम

भारतीय ईसमेंट अधिनियम के अनुसार सरकार को प्राकृतिक झीलों, तालों, प्राकृतिक वाहिकाओं जैसेः नदियों, सरिताओं एवं शासकीय खर्च पर निर्मित की गई किसी भी वाहिका के जल के एकत्रीकरण, अवरोध, एवं वितरण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अनुसार किसी भी भूमि के मालिक को अपनी भूमि की सीमाओं के भूगर्भ में उपलब्ध भूजल की निकासी, एकत्रीकरण एवं उपयोग का पूर्णाधिकार प्राप्त है। इस अधिनियम के अनुसार भूस्वामी को अपनी भूमि से उपलब्ध निशुल्क भूजल निकासी एवं अपनी आवश्यकता के अनुसार उनके उपयोग का भी पूर्णाधिकार है। यद्धपि इस अधिनियम के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे एक समृद्ध कृषक गहरे कुएं खोदकर वृहत्त मात्रा में जल निकासी कर ले, इसके परिणामस्वरूप निकटवर्ती कृषकों के संवैधानिक अधिकारों का हवास होगा। इस प्रकार के परिणाम विभिन्न स्थलों से भूजल की निकासी किए जाने से भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भूजल में औधौगिक अपशिष्ट, मलजल, एवं रासायनिक खादों एवं जीवनाशकों इत्यादि के अनियंत्रित निस्तारण के कारण भूजल की गुणवत्ता में भी अवनति हो सकती है। भूजल की गुणवत्ता एवं परिमाण के नियमन के लिए भारत सरकार द्वारा एक मॉडल बिल लाया गया है। जिसके अनुसार राज्य सरकारों को भूजल से अतिरिक्त निकासी के लिए संरचनाओं के निर्माण को प्रतिबंधित करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अभी तक यह अधिनियम कुछ राज्यों में ही लागू हो सका है। देश के भूजल संसाधनों को संरक्षित करने एवं भूजल से अनियमित निकासी को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय भूजल बोर्ड का गठन किया गया है। जो भूजल के असीमित दोहन को रोकने और देश के भूजल संसाधनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। ध्यान दें कि इस बोर्ड के गठन का उद्देश्य भूजल के अप्रतिबंधित उपयोग से लाइसेंसिंग के माध्यम से नियंत्रित निकासी व्यवस्था में बदलाव करना है। राज्य सरकारों को नियमों को लागू करने और निगरानी करने के लिए राज्य भूजल प्राधिकरण स्थापित किया जाना आवश्यक है।

भारतीय संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 56, केन्द्र सरकार को अन्तर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमित और विकसित करने का अधिकार देती है। केन्द्र सरकार, विशेष परिस्थितियों उदाहरणतः बाढ़ की स्थिति के दौरान, जनहित में, संसद द्वारा प्रविष्टि 56 को विनियमित कर इसे लागू कर सकती है। उदाहरण के लिए, संसद ने अंतर्राज्यीय नदियों के लिए नदी बोर्ड स्थापित करने हेतु, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 को पारित करने हेतु प्रविष्टि 56 का उपयोग किया। प्रविष्टि 56, राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के अधीन है, जो संविधान में जल से संबंधित प्राथमिक प्रविष्टि है। प्रविष्टि 17 में जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी, तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति परियोजनाएं सम्मिलित हैं। इसके अनुसार यद्धपि जल राज्य सूची का विषय है तथापि जल संबंधी विषय, उदाहरणतः जल आपूर्ति, सिंचाई एवं नहरें, जल निकासी एवं तटबंध, जल संचयन एवं जल शक्ति का प्रावधान केंद्र की प्रविष्टि 56 के अंतर्गत राज्यों को प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत आते हैं । तथापि, कोई भी राज्य सूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कदापि नहीं कर सकता, यदि उसके प्रयोग से निकटवर्ती राज्यों के जल संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तथा इस संबंध में निकटवर्ती राज्य द्वारा मतभेद या शिकायत दर्ज की गई हो। यद्धपि, भारत की अधिकांश नदियाँ अंतर्राज्यीय हैं, इसलिए उनका विनियमन और विकास राज्यों के बीच पारस्परिक जल विवाद का कारण बन सकता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम (IRWD अधिनियम) इन जल विवादों पर लागू होता है, लेकिन केवल तभी जब एक राज्य की कार्रवाई अन्य राज्यों के हितों को प्रभावित करती हो।

जल विवाद

जल विवाद एक ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत जल के उपयोग को लेकर दो या दो से अधिक राष्ट्रों, प्रान्तों या समूहों के मध्य परस्पर प्रतिस्पर्धा और जल संघर्ष की स्थितियाँ बन जाती

हैं। जल संघर्ष आम तौर पर जल संसाधनों तक पहुँच या उन पर नियंत्रण, या जल प्रणालियों के उपयोग को लेकर संघर्ष या विवादों को संदर्भित करता है। जल विवाद, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय स्तर के हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष दो या दो से अधिक देशों के बीच होते हैं जो एक सीमा पार जल स्रोत, जैसे नदी, समुद्र या भूजल बेसिन साझा करते हैं। अंतर्राज्यीय संघर्ष एक ही देश में दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य होते हैं। जल से सम्बद्ध अधिकांश विवाद स्वच्छ जल संसाधनों को लेकर होते हैं क्योंकि स्वच्छ जल संसाधन बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है परन्तु अधिकांशतः इन संसाधनों का दुर्लभ या दूषित होना अथवा उपयोगकर्ताओं के मध्य इनका उपयुक्त आबंटन नहीं होना जल विवाद का कारण बन जाता है। पेय जल, सिंचाई, विधुत उत्पादन और अन्य आवश्यकताओं हेतु जल क्षेत्र में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप जल की उपलब्धता में होने वाली कमी के कारण भी जल विवादों में वृद्धि पाई जाती है।

भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी राज्य विशेष में आने वाले जल संसाधनों के संबंध में अधिनियम बनाने का पूर्णाधिकार यद्धपि संबन्धित राज्य को प्रदान किया गया है, परन्तु जल क्षेत्र में राज्यों को एक निश्चित सीमा तक ही अधिकार प्रदान किए गए हैं क्योंकि यह संभव है कि कोई नदी जिसका पूर्ण प्रवाह किसी एक राज्य में हो, उस नदी के प्रवाह के कारण निकटवर्ती राज्य, परिणामी पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों, उदाहरणतः जलप्लावन, जलग्रसनता इत्यादि से ग्रस्त हो। इसके अतिरिक्त किसी एक राज्य में भूजल से होने वाली जल निकासी का प्रभाव भी निकटवर्ती राज्य के भूजलदायकों पर पड़ना अवश्यंभावी है। इसके अतिरिक्त किसी राज्य में नदी पर बांध निर्माण के परिणामस्वरूप उससे निर्मित जलाशय का जल आप्लावन क्षेत्र निकटवर्ती राज्य की सीमा में आ सकता है। यह ध्यान देने योग्य विषय है कि भारत की सभी प्रमुख और कुछ मध्यम नदी घाटियाँ अंतर्राज्यीय प्रकृति की हैं। विभिन्न राज्यों से होकर प्रवाहित होने वाली अन्तर्राज्यीय नदियों में उपलब्ध जल के पारस्परिक विभाजन के क्षेत्र में संबन्धित राज्यों में परस्पर जल विवाद उत्पन्न हो जाना नितांत स्वभाविक है जिसको ध्यान में रखते हुए अन्तर्राज्यीय मतभेदों को दूर करने के लिए अन्तर्राज्यीय नदियों के विकास एवं नियमन हेतु अधिनियम स्थापित करने की शक्ति संसद के अधिकार क्षेत्र में समाहित है।

अन्तर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से सम्बंधित विवादों का न्यायनिर्णयन

भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद, अंतर्राज्यीय नदी बेसिन जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण पर असहमति के कारण उत्पन्न होते हैं। भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद आज भारतीय संघवाद में सबसे विवादास्पद समस्याओं में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 248, 254 एवं 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 262 में दो प्रावधान हैं (अ) संसद कानून बना कर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल प्रयोग, बंटवारे, तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय व निर्णय कर सकती है तथा (ब) संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में न ही सर्वोच्च न्यायालय तथा न ही कोई अन्य न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे।

संविधान के अनुच्छेद 262 के अनुसार किसी भी अंतर्राज्जीय नदी या नदी घाटी में जल के उपयोग, वितरण या उसके नियंत्रण के संबंध में प्राप्त होने वाले किसी भी मतभेद या शिकायत के समाधान के लिए संसद विधि सम्मत उपयुक्त समाधान प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 262 के अनुसार कोई भी मतभेद या शिकायत, सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगी। अतः इस प्रकार के किसी भी मतभेद या शिकायत को सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में समाधान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में जल के उपयोग, वितरण या उसके नियंत्रण के संबंध में कोई मतभेद या शिकायत प्राप्त होती है तो माननीय संसद द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए

अलग से जल प्राधिकरण का गठन किया जाता है जिसका कार्य संबन्धित समस्याओं का समाधान करना होता है। संबन्धित राज्य अपने मतभेदों को इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस प्राधिकरण द्वारा समस्या के समाधान हेतु आवश्यकतानुसार जल के क्षेत्र के विख्यात विशषज्ञों से परामर्श किया जाता है।

इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को जल संबंधी ऐसे किसी भी विषय में अधिनियम निर्मित करने का पूर्णाधिकार है जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि किसी राज्य विधानसभा द्वारा जल क्षेत्र में बनाए गए किसी नियम या अधिनियम के प्रावधान, संसद द्वारा तत्काल निर्मित या पूर्व में उपलब्ध नियम या अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल पाये जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में संसद द्वारा निर्मित अधिनियम, चाहे वे राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित अधिनियम के बनने से पूर्व बनाए गए हों या बाद में, दोनों ही अवस्थाओं में संसद द्वारा स्थापित नियम या अधिनियम के प्रावधान ही मान्य तथा अंतिम होंगे तथा राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित प्रावधान स्वतः अमान्य हो जाएँगे।

संविधान के अनुच्छेद 262 के अनुपालन में संसद द्वारा विभिन्न अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों से सम्बंधित विभिन्न जल विवादों के समाधान हेतु नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत विभिन्न नदी बोर्डों तथा अंतर्राज्यीय जल प्राधिकरणों का गठन किया गया जिनका मुख्य कार्य विभिन्न राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान प्रदान करना है।

नदी बोर्ड अधिनियम 1956

अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमित करने और उनके जल के एकीकृत विकास में वृद्धि के उद्देश्य से, भारत की संसद ने सूची 1 की प्रविष्टि 56 के अंतर्गत नदी बोर्ड अधिनियम (RBA), 1956 को अधिनियमित किया था। यह अधिनियम भारत सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श से नदी घाटियों और अंतर्राज्यीय नदियों के लिए नदी बोर्ड स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। ये बोर्ड लाभकारी उद्देश्यों और बाढ़ नियंत्रण के लिए अंतर्राज्यीय नदियों के जल संसाधनों के एकीकृत विकास हेतु सम्बंधित राज्यों को आवश्यक सलाह देते हैं। यह अधिनियम नदी बोर्डों को, नदी घाटियों के विकास और अंतर्राज्यीय नदियों के विनिमयन के लिए परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने तथा नदी जल के उपयोग को लेकर राज्यों के बीच जल विवादों का निपटारा करने की शक्तियां प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 13 के अनुसार बोर्ड द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी जल संसाधनों का संरक्षण, सिंचाई और जल निकासी की योजनाएं, जलविद्युत शक्ति का विकास, बाढ़ नियंत्रण योजनाएं, नौवहन को प्रोत्साहन देना, मृदा अपरदन पर नियंत्रण और प्रदूषण की रोकथाम सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय जल नीति, किसी नदी बेसिन की योजना और प्रबंधन का समर्थन करती है जो कि एक तर्कसंगत और इष्टतम तकनीक है। भारत में बेतवा नदी बोर्ड, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण एवं गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जैसे विभिन्न नदी बोर्ड स्थापित किये गए हैं । वास्तव में देखा जाए तो इनमें से कोई वास्तविक नदी बेसिन प्राधिकरण नहीं है। उपरोक्त बोर्डों में से बेतवा नदी बोर्ड की स्थापना एक अलग अधिनियम द्वारा विशेष रूप से एक विशेष परियोजना की देखरेख के लिए की गई थी। ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना भी एक संसदीय अधिनियम द्वारा की गई थी और इसे परियोजनाओं के निष्पादन की शक्तियां प्रदान की गई थीं। यद्धपि, इसकी भूमिका मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए मास्टर प्लान तैयार करने तक ही सीमित रही है। इसी प्रकार, बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना विशिष्ट परियोजनाओं की देखरेख

के लिए की गई थी। नर्मदा जल विवाद न्यायधिकरण के आदेशों के अंतर्गत श्रेष्ठ रूप से परिभाषित कार्यों के साथ नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण अस्तित्व में आया। इसके अतिरिक्त गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की भूमिका गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान तैयार करने तक ही सीमित है। स्पष्ट रूप से, नदी बेसिन के नियोजित विकास और प्रबंधन के लिए उपयुक्त संगठन स्थापित करने की आवश्यकता है।

अंतर्राज्यीयजल विवाद अधिनियम 1956

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत भारतीय संसद द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (IRWD अधिनियम) को पारित किया गया जिससे किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, नियंत्रण और वितरण के सम्बन्ध में उत्पन्न जल संबंधी विवादों का समाधान किया जा सके। भारत की अधिकांश प्रमुख नदियों का जलग्रहण क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में होने के कारण वे अंतर्राज्यीय प्रकृति की हैं। इन अंतर्राज्यीय नदियों में जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण हेतु सम्बंधित राज्यों के बीच जल विवाद उत्पन्न होते हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (IRWD अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार इन जल विवादों के समाधान हेतु यदि सम्बंधित राज्य द्वारा न्यायधिकरण की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से संपर्क स्थापित किया जाता है तो केंद्र सरकार पीड़ित राज्यों के साथ विचार–विमर्श करके समस्या के समाधान हेतु अंतर्राज्यीय जल विवाद प्राधिकरण को स्थापित कर सकती है।

चित्र–1 :अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद

अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण

अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक अर्ध–न्यायिक संस्था है जिसे विवादित पक्षों के मध्य जल विवादों के समाधान के लिए स्थापित किया गया है। वर्ष 1956 के अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम की धारा 4 के अनुसार राज्य सरकारें पारस्परिक जल विवाद के समाधान के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना हेतु केंद्र से अनुरोध कर सकती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के अनुरोध पर अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना करेगी। जल विवाद न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और सभी प्रभावी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। भारत में अभी तक जल विवादों के समाधान के लिए निम्नलिखित आठ प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण (i) गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, (ii) कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण,

(iii) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, (iv) रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण, (v) कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, (vi) वंसधारा जल विवाद न्यायाधिकरण, (vii) महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण, एवं (viii) महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण, स्थापित किये गए हैं जिनमें से चार न्यायाधिकरणों (i) गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण (ii) कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण एवं (iii) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (iv) रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण द्वारा अपना अंतिम निर्णय पूर्व में दिया जा चुका है और शेष न्यायाधिकरणों का निर्णय अभी भी लंबित है। राज्य सरकारों की मांग पर भारत सरकार ने वर्ष 2005 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का पुनः गठन किया है। इन न्यायाधिकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्न खण्डों में दिया गया है।

चित्र–2: भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण

गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण (GWDT)

(अ) भारत सरकार द्वारा गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण (GWDT) का गठन अप्रैल 1969 में न्यायमूर्ति श्री आर एस बच्चावत की अध्यक्षता में किया गया था। विस्तृत अध्ययन के पश्चात, न्यायाधिकरण

ने जुलाई, 1980 में अपना निर्णय दिया। निर्णय के अनुसार पोलावरम परियोजना से गोदावरी नदी के 2,266 मिलियन घन मीटर जल को कृष्णा नदी में स्थानांतरित करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कृष्णा नदी में स्थानांतरित किये गए जल को सारणी–1 के अनुसार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा।

सारणी–1 : GWDT द्वारा गोदावरी नदी के जल का तीन राज्यों में वितरण

राज्य	जल का आबंटन (TMC में)	जल का आबंटन (MCM में)
आंध्र प्रदेश	45	1,274.4
कर्नाटक और महाराष्ट्र	35	991.2
योग	**80**	**2,265.6**

चित्र–3 : गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत पोलावरम परियोजना

(आ) इंचमपल्ली बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का एक संयुक्त उद्यम होगा और इसे त्रिपक्षीय अंतर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अंतर्गत निष्पादित और संचालित किया जाएगा। जल भंडारण, विद्युत उत्पादन और परियोजना से लाभ को इन राज्यों द्वारा सहमत अनुपात में वितरित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश को अपने उपयोग के लिए इंचमपल्ली जलाशय से 2,407 मिलियन घन मीटर जल स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान की गयी है। शेष उपलब्ध जल का उपयोग इंचमपल्ली विद्युत गृह में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाना है। जलविद्युत उत्पादन के बाद, आंध्र प्रदेश किसी भी तरीके से इस जल का उपयोग कर सकता है।

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (KWDT)

भारत सरकार द्वारा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (KWDT) का गठन न्यायमूर्ति श्री आर. एस. बच्चावत की अध्यक्षता में अप्रैल 1969 में कृष्णा जल बंटवारे से संबंधित अंतर्राज्यीय जल

विवाद के समाधान के लिए किया गया था। KWDT के अन्य सदस्यों में श्री डी. एम. भंडारी और श्री डी. एम. सेन सम्मिलित थे। KWDT द्वारा वर्ष 1973 में अपना निर्णय दिया जिसे 1976 में प्रकाशित किया गया। इस निर्णय के अनुसार, विजयवाड़ा में कृष्णा जल का 75% विश्वसनीय जल प्रवाह, 2060 TMC (58,339 MCM) आंकलित किया गया, जिसे तीन राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के मध्य सारणी–2 के अनुसार आबंटित किया गया था।

सारणी–2 :KWDT द्वारा महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के मध्य कृष्णा नदी के जल का आबंटन

राज्य	जल का आबंटन (TMC में)	जल का आबंटन (MCM में)
महाराष्ट्र	560	15,859
कर्नाटक	700	19,824
आंध्र प्रदेश	800	22,656
योग	2060	58,339

लगभग तीन दशक बाद KWDT द्वारा दिए गए निर्णय को पुनरीक्षित किये जाने हेतु संबंधित राज्यों ने केंद्र सरकार से पुनः अनुरोध किया। परिणामतः वर्ष 2004 में केंद्र सरकार द्वारा द्वितीय कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। आंध्र प्रदेश के विभाजन एवं तेलंगाना राज्य के गठन के बाद यह विवाद तीन के स्थान पर चार राज्यों के बीच उत्पन्न हो गया। द्वितीय कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का निर्णय अभी लंबित है।

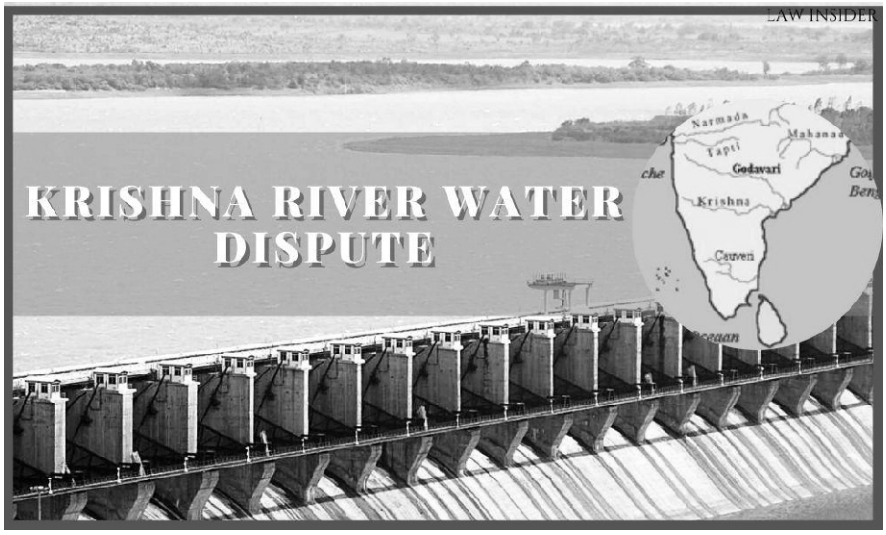

चित्र–4 : कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (NWDT)

अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा नर्मदा जल के बंटवारे और नर्मदा नदी घाटी विकास पर निर्णय लेने के लिए 6 अक्टूबर 1969 को न्यायमूर्ति श्री वी. रामास्वामी की अध्यक्षता में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (NWDT) का गठन किया गया। जिसका निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा 7 दिसंबर, 1979 को दिया गया। इस निर्णय में चार राज्योंः गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान द्वारा नर्मदा नदी के 75% विश्वसनीय जल प्रवाह, 28

TMC (34537.44 MCM) के उपयोग हेतु जल की मात्रा का आबंटन किया, जैसा कि सारणी–3 में दर्शाया गया है।

सारणी– 3 : NWDT द्वारा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के मध्य नर्मदा नदी के जल का आवंटन

राज्य	जल का आबंटन (TMC में)	जल का आबंटन (MCM में)
गुजरात	9.00	11,101.32
मध्य प्रदेश	18.25	22,511.01
महाराष्ट्र	0.25	308.37
राजस्थान	0.50	616.74
योग	28.00	34537.44

न्यायाधिकरण ने यह निर्णय दिया कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर (455 फीट) तक के पूर्ण जलाशय स्तर (FRL) तक निर्धारित की जानी चाहिए और गुजरात सरकार को बांध का निर्माण कार्य 138.68 मीटर (455 फीट) तक के पूर्ण जलाशय स्तर (FRL) को ध्यान में रखकर पूर्ण करने का निर्देश दिया। न्यायाधिकरण के अंतिम आदेशों के खंड–16 के अनुसार राज्यों द्वारा उपयोगी जल, जलाशय के FRL और नवगाम नहर के पूर्ण आपूर्ति स्तर (FSL) के मापदंडों की अधिकारिक राजपत्र में न्यायाधिकरण के निर्णय के प्रकाशन की तिथि से 45 वर्ष की अवधि के बाद कभी भी समीक्षा की जा सकती है।

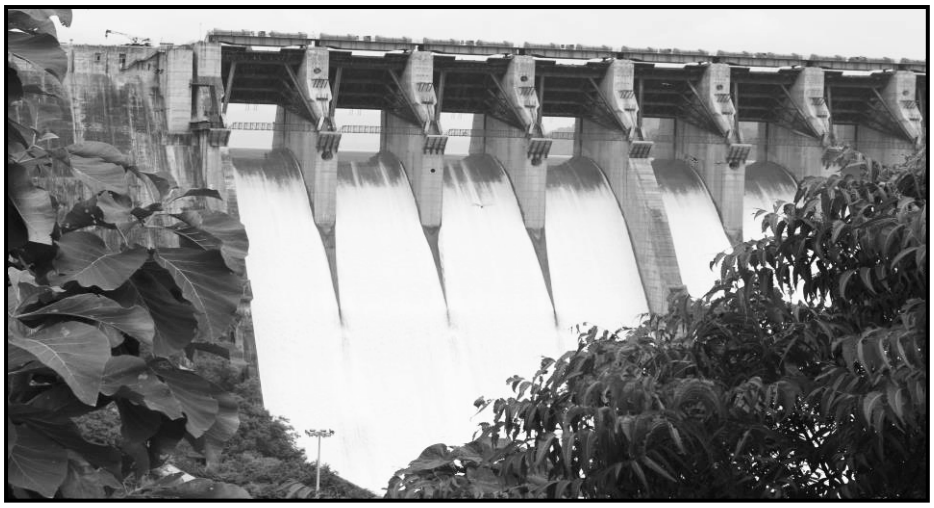

चित्र–5 : नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत सरदार सरोवर बाँध

रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण

रावी और व्यास जल विवाद में मुख्य पक्षकार, पंजाब और हरियाणा, दोनों कृषि अधिशेष राज्य हैं जिन्हें 'भारत के अन्न भंडार' के रूप में जाना जाता है। दोनों ही राज्य वृहत्त मात्रा में अनाज पैदा करते हैं। इस शुष्क क्षेत्र में वर्षा की कमी और अनिश्चितता को देखते हुए सिंचाई, कृषि का मुख्य आधार है। चार बारहमासी नदियाँ, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना, इन राज्यों से होकर बहती हैं। रावी–ब्यास के जल को पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों में परस्पर आबंटन हेतु

उत्पन्न जल विवाद के समाधान हेतु अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा 2 अप्रैल 1986 को रावी और व्यास जल न्यायाधिकरण की स्थापना की गयी। न्यायाधिकरण द्वारा जनवरी 1987 में दिए गए अपने निर्णय में रावी एवं व्यास नदियों के कुल उपलब्ध 18.28 MAF (22,548 MCM) जल को विभिन्न राज्योंः राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा के मध्य सारणी–4 के अनुसार आबंटित किया।

सारणी–4 : रावी और व्यास जल न्यायाधिकरण द्वारा राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के मध्य उपलब्ध जल का आबंटन

राज्य	जल का आबंटन (TMC में)	जल का आबंटन (MCM में)
राजस्थान	8.60	10,608.0
जम्मू और कश्मीर	0.65	801.7
दिल्ली	0.20	246.7
पंजाब	5.00	6,167.4
हरियाणा	3.83	4,724.2
योग	18.28	22,548.0

कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT)

कावेरी नदी एक अंतर्राज्यीय नदी है जिसका उदगम कर्नाटक राज्य के कोडागु क्षेत्र में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरि नामक स्थल में समुद्र तल से 1,341 मीटर की ऊँचाई पर तालाकावेरी से होता है। कावेरी नदी के जल आबंटन के लिए इसके उपयोगकर्ता राज्योंः तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी के मध्य अंतर्राज्यीय कावेरी जल और नदी घाटी के संबंध में जल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए भारत सरकार ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 2 जून, 1990 को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CBDT) का गठन किया। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 1991 में अंतरिम आदेश पारित किया था, परन्तु राजनीतिक प्रतिद्वंदता के परिणामस्वरूप न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करना संभव नहीं हो सका। वर्ष 1998 में कावेरी नदी प्राधिकरण और प्रबोधन समिति का गठन किया गया। निरंतर प्रयासों के बाद भी न्यायाधिकरण का अंतिम निर्णय लंबित है।

चित्र–6 : कावेरी जल विवाद

वंसधारा जल विवाद न्यायाधिकरण

भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ओड़िशा राज्य सरकार के अनुरोध पर अक्टूबर 2010 में ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के मध्य उत्पन्न अंतर्राज्यीय वंसधारा नदी के जल विवादों के समाधान हेतु वंसधारा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। जिसकी रिपोर्ट न्यायाधिकरण द्वारा IRWD अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के तहत केंद्र सरकार को सौंपी जा चुकी है। न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध वर्ष 2013 ओडिशा सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई जो अभी लंबित है।

महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण

भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गोवा राज्य सरकार के अनुरोध पर 16 नवम्बर 2010 में महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा राज्यों के मध्य उत्पन्न अंतर्राज्यीय महादायी नदी के जल विवादों के समाधान हेतु महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। जिसकी रिपोर्ट न्यायाधिकरण द्वारा IRWD अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के अंतर्गत 14 अगस्त 2018 को केंद्र सरकार को सौंपी जा चुकी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा राज्यों ने न्यायाधिकरण की 14 अगस्त, 2018 की रिपोर्ट–सह–अंतिम निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्रमशः एसएलपी (सी) संख्या 32517/2018, 33018/2018 और 19312/2019 दायर की हैं। ये एसएलपी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं।

महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण

भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ओड़िशा राज्य सरकार के अनुरोध पर मार्च 2018 में ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य उत्पन्न अंतर्राज्यीय महानदी के जल विवादों के समाधान हेतु महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया जिसका निर्णय विचाराधीन है।

यमुना जल बंटवारा समझौता

यमुनोत्री में इसके उद्गम से लेकर दिल्ली में ओखला बैराज तक नदी के खंड को ''ऊपरी यमुना बेसिन'' कहा जाता है इसके जल के बंटवारे के लिए हुए पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली द्वारा 12 मई 1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए जिसके परिणामस्वरूप ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का गठन हुआ, जिसके प्राथमिक कार्य हैं: लाभार्थी राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाह का विनियमन और वापसी प्रवाह का प्रबोधन; सतही और भूजल की गुणवत्ता के संरक्षण और उन्नयन का प्रबोधन; बेसिन के लिए जल–मौसम संबंधी आंकड़ों को तैयार करना; जलविभाजक प्रबंधन के लिए योजनाओं का अवलोकन करना; और ओखला बैराज तक और उसके सहित सभी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना। अंतर्राज्यीय समझौते में यह भी परिकल्पना की गई है कि पारिस्थितिकीय विचारों के लिए पूरे वर्ष ताजेवाला और ओखला हेड वर्क्स के अनुप्रवाह पर यमुना नदी में न्यूनतम 10 क्यूमेक का नियमित प्रवाह बनाए रखा जाएगा। यह भी आंकलन किया गया है कि बाढ़ के कारण जल की 680 MCM मात्रा उपयोग योग्य नहीं है। लाभार्थी राज्यों के मध्य उपलब्ध प्रवाह का आबंटन ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। इस समझौते के अनुसार जिस वर्ष सतही जल की उपलब्धता निर्धारित मात्रा से अधिक होगी, अधिशेष उपलब्धता को राज्यों के बीच उनके आबंटन के अनुपात में वितरित किया जाएगा। हालांकि, जिस वर्ष उपलब्धता निर्धारित मात्रा से कम होगी, उस अवस्था में पहले दिल्ली के पेयजल आबंटन को पूरा किया जाएगा और शेष को हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच उनके आबंटन के अनुपात में वितरित किया जाएगा।

यमुना नदी में बाढ़ के पूर्वानुमान के उद्देश्य से पोंटा साहिब में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित की गई है, जहाँ टोंस, पवार और गिरि सहायक नदियाँ मिलती हैं। पोंटा साहिब के बाद ताजेवाला में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित की गई है। ताजेवाला से दिल्ली तक जल पहुंचने में लगभग 60 घंटे लगते हैं, अतः दिल्ली में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए कम से कम दो दिन पहले चेतावनी जारी की जा सकती है। यमुना नदी के उपयोगी जल प्रवाह का राज्यवार आबंटन सारणी 5 में दर्शाया गया है।

सारणी–5 : यमुना नदी के उपयोगी जल प्रवाह का राज्यवार आबंटन

राज्य	जल आवंटन (MCM में)
हरियाणा	5,730
उत्तर प्रदेश	4,032
राजस्थान	1,119
हिमाचल प्रदेश	378
दिल्ली	724
योग	11,983

यमुना जल विवाद

जैसा कि उपरोक्त खण्डों में वर्णित किया गया है, यमुना के जल का उपयोग पांच राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं दिल्ली द्वारा किया जाता है। यद्यपि यमुना जल के बंटवारे के लिए 12 मई 1994 को पांचों राज्यों के बीच जल बंटवारे के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। परन्तु इन राज्यों के मध्य विशेष रूप से दिल्ली के साथ जल विवाद बना रहता है। इसका प्रमुख कारण यमुना नदी पर कोई प्रमुख जल संचयन परियोजना का न होना है जिसके परिणामस्वरूप जहां एक और मानसून ऋतु में यमुना से प्राप्त अतिरिक्त जल के कारण दिल्ली और अनुप्रवाह के क्षेत्रों के जन मानस को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर शुष्क मौसम में इन राज्यों के निवासियों विशेषतः दिल्लीवासियों को जल की कमी का सामना करना पड़ता है जिसके कारण इसके उपयोगकर्ता राज्यों के मध्य जल विवाद उत्पन्न होता है। अतः इस समस्या के आवश्यक समाधान किया जाना आवश्यक है।

चित्र–7 : यमुना जल विवाद का दिल्ली पर प्रभाव

पेरियार जल विवाद

पेरियार जल विवाद केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच मुल्लापेरियार बांध पर जल बंटवारे का विवाद है। यह विवाद 1979 में तब शुरू हुआ जब सुरक्षा संबंधी कारणों से बांध में जलस्तर को 152 फीट से घटाकर 136 फीट करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु को जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने की अनुमति दी थी, लेकिन 2014 में न्यायालय ने केरल सिंचाई एवं जल संरक्षण अधिनियम, 2003 के संशोधन को रद्द कर दिया था, जिसके तहत जल स्तर को 136 फीट तक सीमित कर दिया गया था। न्यायालय ने बांध के रखरखाव की देखरेख के लिए एक स्थायी पर्यवेक्षी समिति भी स्थापित की।

अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ

अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों/अंतर्राष्ट्रीय जल संघर्ष के समाधान हेतु, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ सर्वाधिक प्रभावी और लोकप्रिय एवं उपयुक्त तकनीक है। भारत के लिए प्रासंगिक तीन मुख्य जल संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ निम्न हैं: (i) भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि, (ii) भारत और नेपाल के बीच महाकाली संधि, और (iii) भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा संधि। इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संक्षिप्त वर्णन निम्न खण्डों में दिया गया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि

भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सिन्धु बेसिन के जल संसाधनों के विकास को सुगम बनाने के लिए दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के जल के बंटवारे के लिए लंबी बातचीत के बाद, दोनों देशों की सरकारों के मध्य सितम्बर 1960 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। इस संधि के अनुसार, तीन पश्चिमी नदियों (झेलम, चेनाब और सिंधु) के जल का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया, और तीन पूर्वी नदियों (रावी, व्यास और सतलुज) के जल का अधिकार भारत को दिया गया। इस संधि के अनुसार भारत को उन नदियों पर जलाशय निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके जल का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत में सिंचाई विकास के विस्तार पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस संधि में परियोजना संचालन, सिंचित कृषि की सीमा आदि पर आंकड़ों के आदान–प्रदान के सम्बन्ध में प्रावधान सुनिश्चित किये गए हैं। इस संधि में जल संघर्ष के समाधान हेतु सम्मिलित किये गए उपयुक्त दिशा–निर्देश, दोनों देशों के बीच संघर्ष समाधान के लिए पहला कदम था। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के बावजूद भी जल संबंधी मतभेदों को दूर करने में सफल रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों के बीच युद्धों के दौरान भी इसका सम्मान किया जाता रहा है।

भारत और पाकिस्तान के मध्य एक बड़ा अनसुलझा जल विवाद झेलम नदी पर तुलबुल नौ–परिवहन परियोजना (वुल्लर बैराज परियोजना) है। पाकिस्तान ने इस परियोजना पर इस आधार पर आपत्ति जताई है कि इसमें पाकिस्तान को आबंटित नदी पर भंडारण का निर्माण शामिल है और यह संधि का उल्लंघन है। भारत का मानना है कि कोई भंडारण नहीं बनाया गया है और प्रस्तावित बैराज केवल अस्थायी रूप से जल का एक हेड प्रदान करेगा जिससे उस अवधि को बढ़ाया जा सकेगा जिसके दौरान नौपरिवहन संभव है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के विनियमन से पाकिस्तान को भी लाभ होगा। इस विषय पर द्विपक्षीय वार्ता सफल नहीं रही है।

भारत और पाकिस्तान के मध्य लम्बे समय से लंबित एक अनसुलझा जल विवाद बगलिहार परियोजना के बारे में है जिसमें पाकिस्तान ने संधि की मध्यस्थता करने वाले विश्व बैंक से संपर्क किया। लेकिन विश्व बैंक ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और विवाद अभी भी अनसुलझा है। विश्व बैंक ने विवाद में मध्यस्थता करने के लिए स्विस विशेषज्ञ प्रो. रेमंड लाफिट को नियुक्त किया है।

चित्र–8 : भारत : पाकिस्तान विवाद : बगलिहार बाँध

भारत और नेपाल के बीच महाकाली संधि

वर्ष 1996 में भारत और नेपाल के मध्य नेपाल से उद्गमित होने वाले महाकाली नदी के जल वितरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए जिसे महाकाली संधि के रूप में जाना जाता है। महाकाली संधि का मूल उद्देश्य महाकाली नदी में जल संसाधनों का एकीकृत विकास करना है। महाकाली नदी नेपाल से उदगमित होकर काफी दूरी तक दोनों देशों के मध्य सीमा स्थापित करती है। संधि क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना सम्मिलित हैं। संधि के अनुसार भारत को शारदा बैराज से नेपाल को आद्र मौसम में 28.3 क्यूमेक तथा शुष्क मौसम में 4.25 क्यूमेक जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना निर्देशित किया गया है। इसके अलावा, संधि यह भी निर्देश देती है कि नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए बैराज के अनुप्रवाह में न्यूनतम 9.91 क्यूमेक जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है।

भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा संधि

भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1960 में गंगा जल बंटवारे को लेकर जल विवाद तब प्रारंभ हुआ जब भारत सरकार नें भारत–बांग्लादेश सीमा पर गंगा की भागीरथी–हुगली शाखा पर जल प्रवाह बढाने के लिए फरक्का में एक बैराज बनाने का निर्णय किया जिससे कोलकाता बंदरगाह पर जल की गहराई बढ़ाई जा सके, जो गाद के कारण खतरे में था। जैसे–जैसे बांग्लादेश में सिंचाई जल आवश्यकता में वृद्धि हुई, फरक्का में शुष्क दृतु में जल प्रवाह के बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद पैदा हुआ। दोनों देशों में अनुमानित मांग को पूर्ण करने के लिए शुष्क ऋतु के दौरान जल की अपर्याप्तता ही जल विवाद का मूल कारण है। जिसका उपयुक्त समाधान लंबित है।

निष्कर्ष

अंत में यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि भारतीय संविधान के अनुसार यद्यपि जल राज्य का विषय है तथापि हमारे देश की अधिकांश नदियां अंतर्राज्यीय होने के कारण इन नदियों का जल क्षेत्र मुख्यतः केंद्र विषय के अंतर्गत आता है। मानव जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे घरेलू उपयोग, सिंचाई, जलशक्ति उत्पादन, इत्यादि की आपूर्ति के लिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है।

जनसंख्या, औद्योगिकीकरण एवं जल प्रदूषण आदि क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि, उत्पादन एवं संरक्षण, उपभोग्यता एवं आवश्यकता के साथ–साथ मांग आधारित परिवर्तनीय मूल्यों के परिणामस्वरूप, जल एवं उससे संबन्धित सेवाएँ, धीरे–धीरे मूल्यवान उपभोग्यता संपदा के रूप में परिवर्तित होती जा रही हैं। जिसके कारण जल क्षेत्र में सम्बंधित देशों/राज्यों के मध्य पारस्परिक विवाद/संघर्ष स्वाभाविक है। नदी के प्रतिप्रवाह में स्थित कोई भी देश/राज्य इस अमूल्य संसाधन को तब तक अनुप्रवाह क्षेत्रों में स्थित देश/राज्य के साथ साझा करने को तैयार नहीं होता जब तक वह अपने क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकताओं को पूर्ण न कर ले। यह आवश्यक है कि उपयोगकर्ताओं को भी जल संबंधी अपने प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपनी आवश्यकता से अधिक जल की निकासी कर जल का दुरुप्रयोग न करें। उन्हें यह भी ध्यान रखना परम–आवश्यक है कि उनके द्वारा जल की अत्यधिक निकासी किए जाने से अनुप्रवाह क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं के हितों की हानि न हो।

सरलता और शीघ्रता से सीखी जाने योग्य भाषाओं में हिंदी सर्वोपरि है।

(लोकमान्य तिलक)